



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अस्कोट (पिथौरागढ़)।

फैक्स नं0-05964-238724

E-mail- eepwdaskote@gmail.com

पत्रांक- 1387/13सी0

दिनांक 27/7/2018

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकार,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- बलुवाकोट कांडा मोटर मार्ग (प्रस्ताव संख्या 8888/2014) में आनलाईन माध्यम से दिनांक 7-06-2018 के
लगाई गई आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में उक्त मोटर मार्ग में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवा

निम्नवत है:-

1	Short narrative of the project does not provide adequate information about project in A-I(iii) Part I.	सीरियल न0 A-I(iii) Part I में मोटर मार्ग का संक्षिप्त विवरण को आनलाईन माध्यम से अपडेट कर दिया गया।
2	Justification is not authenticated by DFO. Please upload Justification at para- D(i) in form A, Part I authenticated by DFO.	प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ स्तर से किया जाना है।
3	Employment generation data, it is seen that temporary employment of 100 man days and permanent employment of 150 number is shown as SR No. E inline. it does not appear to be correct.	आपत्ति का निराकरण आनलाईन माध्यम से कर दिया गया है।
4	The copy of GIS software generated geo referenced digital map is not uploaded in the designated column in part I and the map uploaded is google map which does not serve the purpose. the correct map showing geo coordinate at 200 to 300 mtr interval along the alignment of the proposed road including all turning point may be provided/upload showing digitally marked geo-coordinates on the map placed in the designated column in online part I.	प्रस्तावित मोटर मार्ग के जी0ओ0-रिफरेंस मैप, जिसमें प्रत्येक बैंड पर एवं 200 से 300 मी0 दूरी पर जी0पी0एस0 कॉर्डिनेट्स प्रदर्शित कर आनलाईन आनलाईन माध्यम से अपडेट कर दिया गया।
5	Village wise breakup details are not filled at section B-2.3 in form A, Part I.	आपत्ति का निराकरण आनलाईन माध्यम से कर दिया गया है।
6	The user agency may do necessary correction and provide VLC proceeding for each village separately with separate attendance sheet according to filled details in B-2.3 village wise breakup.	आपत्ति का निराकरण आनलाईन माध्यम से कर दिया गया है।
7	Convert CA details in-(L) g [user agency to other]	आपत्ति का निराकरण आनलाईन माध्यम से कर दिया गया है।
8	Generally the area proposed for CA is double the area proposed for diversion and in this case it should be 3.6 ha but it is mentioned 1.8 ha. in details provided in part I needs clarification and necessary correction.	CA हेतु दोगुनी भूमि प्राप्त कर आनलाईन माध्यम से अपडेट कर दिया गया। (छायाप्रति संलग्न)
9	In addition information name is not given in remarks column in form A part I.	आपत्ति का निराकरण आनलाईन माध्यम से कर दिया गया है।
10	Wildlife details are not provided in part II.	प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ स्तर से किया जाना है।

11	CA scheme and CA suitability certificate is not uploaded at para-13 in Form A, Part II	प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ स्तर से किया जाना है।
----	--	--

अतः उक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर सेवा में प्रेषित।

(~~ड० दीपक गुप्ता~~) 27/7/18
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०,
अस्कोट (पिथौरागढ़)

पत्रांक— / 13 सी० तददिनांक
प्रतिलिपि— प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
अस्कोट (पिथौरागढ़)